"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 मई 2018 — ज्येष्ठ 10, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

अधिसूचना

संख्या 11/2018-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-26/2018/वाक/पांच(40). — छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्या 4/2017- राज्य कर (दर), अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43-2017/वाक/पांच (72), तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 में, तारीख 29 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा :-

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	माल का आपूर्तिकर्ता	माल का प्राप्तकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	कोई भी अध्याय	प्रायटी सेक्टर लेडिंग सर्टीफिकेट	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक एफ-10-26/2018/वाक/पांच(40). —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-26/2018/वाक/पांच(40), दिनांक 28-05-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th May 2018

NOTIFICATION
No. 11/2018-State Tax (Rate)

No. F-10-26/2018/CT/V (40). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification, No. 4/2017-State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V (72) dated the 28th June, 2017 of the Commercial Tax Department, Government of Chhattisgarh, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely : -

TABLE

S. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Any Chapter	Priority Sector Lending Certificate	Any registered person	Any registered person

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.